

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय स०वि०स० समस्तीपुर, रोसड़ा, विभूतिपुर, मोरवा एवं मोहिउद्दीननगर द्वारा अपने-अपने विधानसभा क्षेत्राधीन मध्य/उच्च/इंटर विद्यालयों के पुस्तकालय में पुस्तकों को क्रय कर आपूर्ति करने हेतु अनुशंसा की गयी है, तदालोक में पुस्तक क्रय करने हेतु नमूने की एक-एक प्रति के साथ प्रतिष्ठित प्रकाशको/वितरकों/विक्रेताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। वित्तीय एवं तकनीकी निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 08.08.2017 को 02:00 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर में रजिस्टर्ड डाक/कोरियर/स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से जमा कर सकते हैं। उसी दिन जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में अपराह्न 04:00 बजे खोली जायेगी जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

इच्छुक निविदादाता जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में अनुमोदित पुस्तको की सूची की छायाप्रति कार्यालय अवधि में, अपने निजी खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं अथवा समस्तीपुर जिला के वेबसाईट www.samastipur.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

तकनीकी निविदा की शर्तें :-

1. तीन वर्षों का आयकर रिटर्न एवं पैन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. निविदा के साथ 30000.00 (तीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी जो जिला योजना पदाधिकारी, समस्तीपुर के पदनाम से भुगतये होगा।
3. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ-पत्र देना होगा।
4. आपूर्तिकर्ता को संबंधित प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की आपूर्ति का प्राधिकार पत्र जमा करना होगा।
5. निविदादाता को विगत वर्षों में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में पुस्तक आपूर्ति करने का क्रय आदेश प्राप्त होना चाहिए।
6. क्रय की जानेवाली पुस्तकों के टाईटिल पृष्ठ एवं मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन मान्य नहीं होगा।
7. बाल साहित्य के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें 60 पृष्ठ से कम रहने पर मान्य नहीं होगा।
8. क्षतिग्रस्त अथवा न्यूजप्रिन्ट पर छपी पुस्तक स्वीकार नहीं की जाएगी।
9. प्रत्येक पुस्तक की अधिमानता आई०एस०बी०एन० मानक के साथ ही स्वीकार की जाएगी।
10. गुणवत्ता के लिए आई०एस०ओ० का प्रमाण-पत्र निविदादाता को देना अनिवार्य होगा।
11. National Book Trust, NCERT, प्रकाशन विभाग या अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों की पुस्तकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
12. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकें रेल/डाक पार्सल से स्वीकार नहीं की जाएगी।
13. पुस्तकों के क्रय हेतु छूट की निम्नांकित न्यूनतम दरें निर्धारित की जाती है।
14. निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजातों पर क्रमवार संख्यात्मक पृष्ठ संख्या अंकित करना अनिवार्य है।

क	1 से 10 प्रतियाँ पर	10 प्रतिशत
ख	11 से 25 प्रतियाँ पर	15 प्रतिशत
ग	26 से 100 प्रतियाँ पर	20 प्रतिशत
घ	101 से 200 प्रतियाँ पर	25 प्रतिशत
ङ	201 से 500 प्रतियाँ पर	30 प्रतिशत
च	501 से ऊपर प्रतियाँ	35 प्रतिशत

प्रकाशक/आपूर्तिकर्ता उपर्युक्त निर्धारित छूट या उससे अधिक देना चाहे तो स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि कितनी छूट दे सकते हैं।

15. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों से संबंधित निम्नांकित सूचनाएँ निश्चित रूप से अंकित की जाएगी।

क्र०	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम एवं पूरा पता	विषय	प्रकाशन का वर्ष	कुल पृष्ठों की संख्या	साजिल्द/अजिल्द एवं मुद्रित मूल्य
------	---------------	-------------	-----------------------------	------	-----------------	-----------------------	----------------------------------


16. निविदादाताओं को पिछले तीन वर्षों में औसतन टर्न ओवर 50.00 लाख (पचास लाख)रु० या अधिक का होना आवश्यक होगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें :-

वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदादाता आपूर्ति की जानेवाली सभी पुस्तकों पर छुट की दर प्रतिशत में अंकित करेंगे।

(ग) सामान्य शर्तें :-

1. तकनीकी निविदा में असफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. जिनकी निविदा स्वीकृत की जायेगी उन्हें आपूर्ति आदेश मिलने पर 30 दिनों के अंदर पुस्तक आपूर्ति संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में पहुँचा कर करनी होगी। आपूर्तिकर्ता को अलग से परिवहन एवं मजदूरी की राशि देय नहीं होगी। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी प्रकार के नुकसान एवं क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। निविदादाता को किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
3. प्रत्येक पुस्तक पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का मुहर लगाना अनिवार्य होगा।
4. किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
5. किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र समस्तीपुर होगा।
6. चयनित आपूर्तिकर्ता को विपत्रों पर नियमानुसार श्रोत पर निर्धारित कर कटौती के बाद ही विपत्र का भुगतान किया जायेगा।


जिला योजना पदाधिकारी
समस्तीपुर।